

1/10/19

पत्रावली पेशा हुई। वकील वाकी-हाजिर नहीं।
मिन्न-2 समय पर तीन बार आज्ञाएं दिलवाई गईं
कोई पक्षकार हाजिर नहीं। इससे उचित होता है कि
वकील वादी प्रकरण आगे-चलाना नहीं चाहते हैं। अतः
प्रकरण में अदम वैखी अदम हाजरी में कार्यवाही
स्वार्थ ही आती है। मिसल फंसल शुमार होकर
गबन से कम ही आकर वाकिल पक्षर हो।

04

